BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 274/2022

IN THE MATTER OF:
PREM AGGARWAL & ORS.

...APPLICANT(s)

VERSUS

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT OF MD, U.P. JAL NIGAM (URBAN) IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 03.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.	
2.	THE MINUTES OF MEETING IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE R1.**	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 11.11.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE R2.**	
4.	THE COPY OF THE BAR CHART SHOWING PROGRESS REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE R3.**	

THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: **18.11.2024**
PLACE: **NOIDA**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 274/2022

AFFIDAVIT 2024
0271334

IN THE MATTER OF:
PREM AGGARWAL & ORS.

...APPLICANT(s)

VERSUS

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT OF MD, U.P. JAL NIGAM (URBAN) IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 03.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

I, Ramakant Pandey, aged about 58 years, S/o Shri N.R. Pandey, posted as Managing Director, U.P. Jal Nigam (Urban), do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I, Ramakant Pandey, Managing Director, U.P. Jal Nigam (Urban), am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That vide order dated 03.09.2024 the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter "Hon'ble Tribunal"), has passed the following direction:

> *"...8. We also issue notice to Managing Director, U.P Jal Nigam, to show cause that in view of Section 14 (1) U.P water Supply and Sewerage Act, 1975, for discharge of untreated sewage in river Yamuna, U.P Jal Nigam is also responsible, why prosecution under section 43 of Water Act,*

Commissioner for Oaths, High Court, Allahabad

1974 may not be initiated against him and other responsible Authorities of UP Jal Nigam. For this purpose we direct Managing Director, U.P Jal Nigam to submit its response within one month and also appear in person before Tribunal on next date…"

3. That it is pertinent to mention that the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 was amended by the State Government on 27th August, 2021. The amendment by the State was done via The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Bill, 2021. The amended Section 14 of the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 is as follows:

5–मूल अधिनियम की धारा 14, जिसमें पार्श्वांकित शीर्षक सम्मिलित है, के स्थान पर निम्नलिखित धारा और पार्श्वांकित शीर्षक रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"14– उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अधिकारिकता राज्य का अधिसूचित उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) क्षेत्र होगा। उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की अधिकारिकता का कृत्य निम्नलिखित होगों, अर्थातः–

(एक) राज्य सरकार के निर्देशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था ओर मल निस्तारण के लिये योजनायें तैयार करना, उनका निष्पादन करना उनका उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।

(दो) राज्य सरकार ओर नगरीय स्थानीय निकायों को निजी संस्था या व्यक्तियों के अनुरोध पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थायें करना।

(तीन) राज्य सरकार के निर्देशों पर जल सम्भरण सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिये राज्य योजनायें तैयार करना।

(चार) जल संस्थानों ओर नगरीय स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा–46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, के क्षेत्रों के भीतर टैरिफ, करों तथा जल सम्भरण प्रभारों के समीक्षा करना ओर उन पर सलाह देना।

(पांच) अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना ओर उन्हें प्राप्त करने तथा उनका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना।

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

(छः) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिये राज्य मानक स्थापित करना।

(सात) नगरीय क्षेत्रों में ऐसे सभी कृत्य करना, जो यहां पर उल्लेखित न हों ओर जो इस अधीनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व तत्कालीन उ0प्र0 जल निगम द्वारा किये जा रहे थे।

(आठ) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो धारा–46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो। जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना।

(नौ) राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा अनुरक्षण करना।

(दस) जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाये तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धानों तथा शर्तों पर ऐसी अवधि के लिये, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये। संचालित करना चलाना ओर अनुरक्षण करना।

(ग्यारह) राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षेपित जल–शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।

(बारह) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्य को दक्षता पूर्वक निस्तारित करने के लिये व्यवहारिक अनुसंधान करना।

(तेरह) इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन निगम को सौंप गये किन्हीं कृत्य को करना ओर।

(चौदह) ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंप जाये।

Section 14 of the *Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975* was amended by the State Government to define the jurisdiction and functions of the *Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban)* in the notified urban areas of the state.

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

4. That as per the order dated 03.09.2024 the Hon'ble Tribunal directed the undersigned to show cause in view of Section 14 (1) U.P water Supply and Sewerage Act, 1975, for discharge of untreated sewage in river Yamuna, U.P Jal Nigam is also responsible, why prosecution under section 43 of Water Act, 1974 may not be initiated against the undersigned and other responsible Authorities of UP Jal Nigam.

5. That it is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that the U.P. Jal Nigam (Urban) is statutory body established under the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975. The UP Jal Nigam (Urban) was created to provide safe and reliable water supply and sanitation services in urban areas across Uttar Pradesh. Its objective is to develop water supply and sewerage infrastructure in urban areas of the state, as per the directions received from the State Government.

6. That it is humbly submitted that the U.P. Jal Nigam is a statutory body which is fully dependent upon the State Government with regards funding of water supply and sewerage projects. The body has no allocated funds of their own, the Nigam is dependent upon the centage provided to them by the State Government.

7. That an ***illustration*** is respectfully submitted before the Hon'ble Tribunal for the convenience in understanding the role, the operative procedures and procedural time required for approval of project of the U.P. Jal Nigam (Urban). The ***illustration*** for the projects of Water Supply and Sewerage currently being sanctioned under **AMRUT 2.0** programme is stated as under:

    i. U.P. Jal Nigam is appointed as parastatal agency for Water Supply and Sewerage projects under **AMRUT 2.0** programme by the State Government.

COMMISSIONER FOR OATH * High Court, Allahabad

ii. The Nigam of behalf of Urban Local Bodies (ULB) has submitted City Water Action Plan (CWAP) to bridge the gap in Water Supply and Sewerage coverage for all ULBs on **AMRUT 2.0** portal of G.O.I.

iii. The CWAP's are further aggregated by the State Mission director, and then sent for approval to State High Power Steering Committee (SHPSC), headed by the Chief Secretary, Government of UP.

iv. Subsequent to the approval of CWAP by SHPSC, Nigam then prepares the DPR which includes survey and detailed design of sewer/water supply network.

v. The prepared DPR is presented in the State Level Technical Committee (SLTC) headed by Principal Secretary, UDD, Government of UP, for its technical approval.

vi. The DPR approved by the SLTC is then sent to State High Power Project Sanctioning Committee (SHPSC), headed by the Chief Secretary, Government of UP, for approval.

vii. The DPR once approved by the SHPSC is sent to the Project Formulation Appraisal Department for financial evaluation and thereafter, as per the recommendation of Expenditure Finance Committee, the financial approval is accorded by the State Government.

viii. After allocation of budget UP Jal Nigam invites tender for the project execution.

It is pertinent to mention sanctioned project cost is shared by **Central, State and ULB, in the defined ratio. Hence, the Nigam has no funds of their own to finance any projects.**

COMMISSIONER FOR OATH * High Court, Allahabad

8. Therefore, it is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that prosecution under section 43 of Water Act, 1974 may not be initiated

against the undersigned and other responsible Authorities of U.P. Jal Nigam. Additionally, U.P. Jal Nigam (Urban) is completely dependent upon the state government for financing of schemes and they are required to submit periodic reports on its activities, projects, finances, and compliance with their statutory responsibilities.

9. That furthermore, in compliance of the aforementioned order issued by the Hon'ble Tribunal a board meeting of U.P. Jal Nigam (Urban) was convened on 22.10.2024, wherein the provisions of Section 14(1) of the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975, were extensively reviewed. During the meeting it was submitted that the term "financing" does not align with the operational model of U.P. Jal Nigam, as the organization functions solely on a centage basis. Projects related to water supply and sewerage are undertaken upon directions from the State Government and are funded entirely by the Government of Uttar Pradesh or other sanctioned sources. It was further highlighted that U.P. Jal Nigam neither has an independent budget nor financing capacity for such projects.

The Minutes of Meeting is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R1.**

10. That subsequent to the Board's decision, a formal letter dated 11.11.2024 has been submitted by the Managing Director, U.P. Jal Nigam (Urban), to the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh. **In the letter a request for amendment in the existing provisions of Section 14(1) is made so as to clarify that U.P. Jal Nigam's role is limited to the preparation and execution of projects as per government directives, without financial accountability for funding.**

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, Allahabad

A copy of the letter dated 11.11.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R2.**

11. That further, with regards to the affidavit **filed by the Deponent dated November 6th, 2024 is on judicial record at page no. 361 to page no. 374 for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal**. That the aforesaid affidavit was filed by the deponent in compliance of Order dated 03.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal wherein the Tribunal had directed the Deponent to file a response for the construction work of 68 MLD STP at Ghaziabad, including, sewer network and progress report for the same.

12. That with regards to the aforementioned affidavit filed on November 6th, 2024, **the further progress report for the in the present progress of STP is 30% and out of 145km sewer network 82km has been laid i.e. 56% of the sewer network has been laid.** The progress of IPS is also ahead of schedule as per the bar chart, however, at Pasonda the progress is at 2% due to some hindrances. Nonetheless, the disputes have been resolved and the work is in progress. That it is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that the overall progress of the project till date is 38%. The progress of key component of the project against the target is tabulated below:

S. No.	Work proposed	Quantity	Target as on 31.10.2024	Achievement as on 31.10.2024	Remarks
1.	STP	68 MLD	26%	30%	
2.	Sewer Network	145 km	46km	82km	
3.	MPS	1 No.	19%	20%	
4.	IPS- Arthla	1 No.	26%	33%	

COMMISSIONER FOR OATH ★ High Court, Allahabad ★

5.	IPS-Bhopura	1 No.	19%	20%	Though the land for the IPS was made available by the Nagar Nigam with delay on 30.05.2024 but the physical progress is as per the target.
6.	IPS- Pasonda	1 No.	19%	2%	The land for the IPS was made available by the Nagar Nigam with delay on 30.05.2024 and due to some other hindrances by the public, the work got delayed. However, the work for the IPS is started and will be completed in time.
7.	Overall Progress		32%	38%	

The copy of the bar chart showing progress report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R3.**

13. It is germane to mention here that the construction work has been put on temporary hold due to implementation of GRAP Stage IV by the Order of Commission of air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas.

14. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad

15.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

18.11.24

DEPONENT

VERIFICATION

OATH COMMISSIONER

Verified at Lucknow on this 18 day of November, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 17 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

OATH COMMISSIONER

18/11/24

DEPONENT

Solemnly affirmed before me on 18/11/24
at 07.10 am/pm by the deponent R.K. Pandey
who is identified by Sri R.K. Verma Adv
High Court, Lucknow Bench

OATH COMMISSIONER

9046/03
Advocate

R.K. Verma
OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad
Lucknow Bench, Lucknow
S No. 27133.4 Date 18/11/24

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad
18/11

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) निदेशक मण्डल की सप्तम् बैठक दिनांक 22.10.2024 का कार्यवृत्त।

ANNEXURE R1

उपस्थिति :-

1– श्री अमृत अभिजात, अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

2– श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि–श्री संजीव गुप्ता, वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अधिकरण (सूडा), लखनऊ।

4– अपर मुख्य सचिव (नियोजन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि–श्री जे०एल० यादव, संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5– अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि–श्री जयवीर सिंह, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ की प्रतिनिधि–श्रीमती विजेता, उप निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

7– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रतिनिधि–डॉ० मुकेश मटनहेली, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8– श्री रमाकान्त पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

9– श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

10– श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

11– श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय, वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

निदेशक मण्डल की बैठक हेतु मा० सदस्यों का कोरम पूर्ण था। अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी।

मद संख्या	एजेण्डा का विवरण	निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय
07.01	उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निदेशक मण्डल की षष्ट्म बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	निदेशक मण्डल द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
07.02	उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निदेशक मण्डल की षष्ट्म बैठक के अनुपालन की स्थिति।	उ०प्र० जल निगम(नगरीय) निदेशक मण्डल की षष्ट्म बैठक में विभिन्न मदों के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन का संज्ञान लिया गया।
07.03	महाकुम्भ मेला–2025 के कार्यों के सम्पादन के दृष्टिगत जनपद–प्रयागराज में एक अस्थाई सिविल खण्ड की स्थापना से सम्बन्धित कार्योत्तर अनुमति हेतु एजेण्डा–नोट।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
07.04	उ०प्र० जल निगम (नगरीय) में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में एकरूपता की दृष्टि से किसी स्वीकृत कार्य (स्वीकृत प्राक्कलन के कुल कार्य लागत) की निविदायें आमंत्रित करने के लिये कार्यों का विभिन्न पैकेजेज में निर्धारण हेतु गठित समिति के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(संजय कुमार रंजन)
सचिव प्रशासन
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

(अनिल कुमार त्रिवेदी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad

मद संख्या	एजेण्डा का विवरण	निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय
07.05	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में स्थानान्तरण सत्र 2024–25 की स्थानान्तरण नीति के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.06	दिनांक 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े जाने विषयक प्रस्ताव।	दिनांक 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
07.07	श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं वि0/याँ0 विंग, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ) एवं अन्य 02 अधिकारियों द्वारा निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील का निस्तारण किए जाने के संबंध में एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि प्रकरण में निर्माण के समय निर्मित नलकूप तत्समय के मानक के अनुसार ठीक था बाद में मानक बदले जाने के कारण स्थिति उत्पन्न हुयी। निदेशक मण्डल द्वारा जांच समिति की आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुए गुण–दोष के आधार पर अपील निस्तारित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।
07.08	श्री के0एम0ए0 शाह, सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर के विरूद्ध सेवाकाल में संस्थित जांच को सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) में प्रत्यावर्तित करने संबंधी ज्ञाप एवं प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्गत दण्डादेश पर निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव।	इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान निदेशक मण्डल के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) के अधीन सेवानिवृत्त विभागीय कार्मिको के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल से अनुमति प्राप्त किये जाने का नियम है। यह तर्क दिया गया कि निदेशक मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जो निर्णय लिया गया है कि इस हेतु निगम निदेशक मण्डल सक्षम होगा, विधि अनुरूप नहीं है। जल निगम(नगरीय) की विशिष्ट प्रास्थिति के दृष्टिगत कि यहा के कार्मिकों की पेंशन ट्रेजरी से नहीं प्राप्त होती है। प्रथम दृष्टया यह तर्क ग्राह्य नहीं माना जा सकता है फिर भी इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि इस स्थिति का एक बार पुनः विधिक परीक्षण कराते हुये शासन का अभिमत प्राप्त कर लिया जाये।
07.09	श्री अनिल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) के विरूद्ध निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–662 दिनांक 22.08.2024 पर औपचारिक अनुमोदन/कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन/कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
07.10	श्री योगेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) के अन्तर्गत अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुक्रम में संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर औपचारिक अनुमोदन/कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान निदेशक मण्डल के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) के अधीन सेवानिवृत्त विभागीय कार्मिको के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल से अनुमति प्राप्त किये जाने का नियम है। यह तर्क दिया गया कि निदेशक मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जो निर्णय लिया गया है कि इस हेतु निगम निदेशक मण्डल सक्षम होगा, विधि अनुरूप नहीं है। जल निगम(नगरीय) की विशिष्ट प्रास्थिति के दृष्टिगत कि यहा के कार्मिकों की

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad

(संजय कुमार रंजन)
सचिव प्रशासन
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

(अनिल कुमार द्विवेदी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

मद संख्या	एजेण्डा का विवरण	निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय
		पेंशन ट्रेजरी से नहीं प्राप्त होती है। प्रथम दृष्टया यह तर्क ग्राह्य नहीं माना जा सकता है फिर भी इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि इस स्थिति का एक बार पुनः विधिक परीक्षण कराते हुये शासन का अभिमत प्राप्त कर लिया जाये।
07.11	श्री अजेय रस्तोगी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध सेवाकाल में संस्थित जांच को सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) में प्रत्यावर्तित करने सम्बन्धी ज्ञाप एवं प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्गत दण्डादेश पर निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव।	इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान निदेशक मण्डल के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) के अधीन सेवानिवृत्त विभागीय कार्मिको के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल से अनुमति प्राप्त किये जाने का नियम है। यह तर्क दिया गया कि निदेशक मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जो निर्णय लिया गया है कि इस हेतु निगम निदेशक मण्डल सक्षम होगा, विधि अनुरूप नहीं है। जल निगम(नगरीय) की विशिष्ट प्रास्थिति के दृष्टिगत कि यहा के कार्मिकों की पेंशन ट्रेजरी से नहीं प्राप्त होती है। प्रथम दृष्टया यह तर्क ग्राह्य नहीं माना जा सकता है फिर भी इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि इस स्थिति का एक बार पुनः विधिक परीक्षण कराते हुये शासन का अभिमत प्राप्त कर लिया जाये।
07.12	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत वरिष्ठ अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता (स्तर–2/सिविल) के उच्चतर पदों के दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत वरिष्ठ अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता (स्तर–2/सिविल) के उच्चतर पदों के दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
07.13	तेजपुर विश्वविद्यालय से नये निर्माण कार्य हेतु न्यूनतम 5.0% PMC Charge की निदेशक मण्डल से स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि तेजपुर विश्वविद्यालय से 100 करोड़ से अधिक के कार्य प्राप्त होने हैं तथा निकट भविष्य में लगभग 300 करोड़ के कार्य प्राप्त होने की सम्भावना है, जिसके सापेक्ष तेजपुर विश्वविद्यालय द्वारा सेन्टेज के रूप में 5.0% PMC Charge दिया जायेगा तथा कार्य की लागत अलग–अलग कुल मिलाकर 100 करोड़ से अधिक होगी। अस्वीकार करने पर कार्य किसी अन्य एजेन्सी को ट्रांसफर हो जायेगा। निदेशक मण्डल द्वारा सी0एण्ड डी0एस0 को उपर्युक्त कार्य विशेष से राजस्व प्राप्ति की सम्भावना के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि यह अन्य मामलों में दृष्टांत नहीं माना जायेगा।
07.14	उ0प्र0 जल निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2156/एसी. लेखा(सा.)/चि.प्रतिपूर्ति/309, दिनांक 28.06.2016 के प्रस्तर–8.1 के अनुपालन में, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मद में रू0 5.00 लाख से अधिक की धनराशि के भुगतान हेतु	उ0प्र0 जल निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2156/एसी.लेखा (सा.)/चि.प्रतिपूर्ति/309, दिनांक 28.06.2016 के प्रस्तर–8.1 के अनुपालन में, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मद में रू0 5.00 लाख से अधिक की धनराशि के भुगतान हेतु निदेशक मण्डल से

(संजय कुमार रंजन)
सचिव प्रशासन
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

(अनिल कुमार द्विवेदी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

मद संख्या	एजेण्डा का विवरण	निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय
	निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
07.15	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में संविदा के आधार पर तैनात सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा अवधि समाप्त होने के उपरान्त कार्यहित में भिज्ञ एवं अनुभवी कार्मिकों को संविदा पर पुनः नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल द्वारा श्री राजेन्द्र मणि त्रिपाठी, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन तथा श्री रवीन्द्र प्रसाद पाण्डेय, सेवानिवृत्त लेखाकार, जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है, को पूर्व निर्धारित मानदेय/शर्तों के अधीन छः माह हेतु संविदा के आधार पर तैनात किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया एवं संविदा पर पुर्ननियुक्ति/संविदा अवधि बढ़ाये जाने हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) को अधिकृत किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जिन संविदा कार्मिकों की आयु 65 वर्ष या अधिक हो गयी है उन्हें संविदा पर न रखा जाये। कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत नवीन सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त किये जाने पर विचार कर लिया जाये।
07.16	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की वर्तमान विधिक प्रास्थिति को देखते हुए उसके नाम परिवर्तन किये जाने तथा उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम–2021 में संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम–2021 की धारा–14(1) में प्रयुक्त शब्दों यथा उन्हें वित्त पोषित करना, के कारण विभिन्न स्तरों पर कठिनाईया उत्पन्न हो रही है। यद्यपि जल निगम(नगरीय) मूलतः सेन्टेज के आधार पर कार्य करता है और पेयजल/सीवरेज योजनाओं को जल निगम(नगरीय) की ओर से वित्त पोषित किये जाने की वित्तीय व्यवस्था नहीं है, फिर भी अधिनियम में इन शब्दों के विद्यमान रहते तकनीकी रूप से प्रदेश में कही या किसी भी पेयजल/सीवरेज सम्बन्धी कठिनाई के लिये जल निगम(नगरीय) को उत्तरदायी मानने तथा The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 के प्राविधानों के अधीन अप्रिय स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम–2021 में ऐसे भी प्राविधान है जिनको अद्यतन संशोधित किये जाने पर विचार की आवश्यकता है। निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में भविष्य की सम्भावनाओं के दृष्टिगत विशेषज्ञों/कार्य विशेष हेतु दक्ष कार्मिकों से यथावश्यक संशोधन कराकर प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
07.17	श्री पी0के0 भूकेश, मुख्य अभियन्ता को विभाग से निष्कासित किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या–856/2020 में पारित आदेश के अनुपालन विषयक एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के कम में श्री भूकेश की सेवा अवधि एवं सेवानिवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लेकर मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) को अधिकृत किया गया।

(संजय कुमार रंजन)
सचिव प्रशासन
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

(अनिल कुमार द्विवेदी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

मद संख्या	एजेण्डा का विवरण	निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय
	अतिरिक्त एजेण्डा	
07.18.01	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) का वित्तीय वर्ष 2024–25 का राजस्व बजट(आय व्ययक अनुमान)।	निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) का वित्तीय वर्ष 2024–25 का राजस्व बजट(आय व्ययक अनुमान) अनुमोदित किया गया।
07.18.02	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के समस्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 212 प्रतिशत, दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 221 प्रतिशत, दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 230 प्रतिशत तथा 01 जनवरी, 2024 से 239 प्रतिशत महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के समस्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
07.18.03	उ0प्र0 जल निगम एवं एल0एस0जी0ई0डी0 से जल निगम (नगरीय) में संविलीन होने के उपरान्त समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 212 प्रतिशत, दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 221 प्रतिशत, दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 230 प्रतिशत तथा 01 जनवरी, 2024 से 239 प्रतिशत महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	उ0प्र0 जल निगम एवं एल0एस0जी0ई0डी0 से जल निगम (नगरीय) में संविलीन होने के उपरान्त समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 212 प्रतिशत, मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
07.18.04	गाजियाबाद सीवरेज फेज–1 योजना में घटित दुर्घटना के फलस्वरूप प्रचलित विभागीय जांच के सापेक्ष निस्तारित जांच में अधिरोपित दण्ड को विलोपित किये जाने के संबंध में श्री कृष्ण मोहन यादव, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.10.2020 के निस्तारण हेतु एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि श्री कृष्ण मोहन यादव को प्रकरण में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप ज्ञाप दिनांक 17.08.2020 द्वारा दो वेतनवृद्धि स्थाई रूप से आदेश निर्गमन की तिथि से दो वर्ष तक रोके जाने का दण्ड दिया गया था जिसके सापेक्ष इनका अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.10.2020 प्राप्त हुआ है। सम्यक् विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण मोहन यादव, से0नि0 अधीक्षण अभियन्ता के अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.10.2020 में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करते हुये इनकी दो वेतनवृद्धियॉं अस्थाई रूप से दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक रोके जाने के दण्ड में परिवर्तित किया जाये तदनुसार इनके अपीलीय प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) को अधिकृत किया गया।

(संजय कुमार रंजन)
सचिव प्रशासन
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

(अनिल कुमार द्विवेदी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad
18/11

मद संख्या	एजेण्डा का विवरण	निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय
07.18.05	श्री भारत सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा सेवाकाल में की गयी अनियमितताओं के सापेक्ष प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर लिये गये निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम(नगरीय) की अनुमति से		
07.18.06	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०) कार्यक्रम तथा लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू०आई० डी०एस०एस०एम०टी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम द्वारा विभिन्न नगरों/शहरों में कराये गये सीवरेज/ पेयजल के कार्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग न कर इसे वापस किया जाये।	निदेशक मण्डल द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जे०एन०एन०यू०आर०एम०) कार्यक्रम तथा लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम द्वारा विभिन्न नगरों/शहरों में कराये गये सीवरेज/ पेयजल के कार्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग न कर इसे राज्य/केन्द्र सरकार को तत्काल वापस करने के निर्देश दिये गये।

(संजय कुमार रंजन)
सचिव प्रशासन
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

(अनिल कुमार द्विवेदी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad
18/1/

ANNEXURE R2

प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)
6. राणा प्रताप मार्ग. लखनऊ–226001

E-mail- dsaupjn@gmail.com
Phone- 0522-2620172, 2620272,
Fax- 0522-2622389

पत्रांकः–2354/प्र–1/2005–507/2024 दिनांकः– 11/11/2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः– उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम–2021 की धारा 14 (एक) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एक निगमित निकाय है। जिसका मुख्य कार्य राज्य सरकार के निर्देशों पर प्रदेश के नगर निकायों में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाओं सम्बन्धी परियोजनाओं का निष्पादन कराना है।

उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एक ऐसी संस्था है, जिसकी आय का स्रोत इन योजनाओं के निष्पादन से प्राप्त सेन्टेज ही है। सेन्टेज से प्राप्त आय से उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के कार्मिको के वेतन भत्तें तथा सेवा सम्बन्धी अन्य देयों का भुगतान किया जाता है। निगम राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिये योजनाएं तैयार करता है, उक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निगम के पास योजनाओं के वित्त पोषण के स्वयं के कोई वित्तीय संसाधन नहीं हैं।

योजनाओं की स्वीकृति एवं वित्त पोषण के उपरान्त शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा सीवरेज/पेयजल तथा राज्य सेक्टर एवं समय–समय पर सौपे गये कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है एवं उन पर सेन्टेज प्राप्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पेयजल/सीवरेज योजनाओं को जल निगम (नगरीय) की ओर से वित्त पोषित किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 यथासंशोधित उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम–2021 की धारा 14 (एक) में निम्नलिखित प्राविधान है :–

(एक) राज्य सरकार के निर्देशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हे वित्त पोषित करना।

अधिनियम की धारा 14 (एक) में **उन्हें वित्त पोषित करना** अंकित होने के फलस्वरूप तकनीकी रूप से प्रदेश में कहीं या किसी भी पेयजल/सीवरेज सम्बन्धी कठिनाई के लिए जल निगम (नगरीय) को उत्तरदायी मानने तथा The Water (Prevention and Control of Pollution Act, 1974) प्राविधानों के अधीन असमंजसपूर्ण एवं अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो रही है। उक्त के दृष्टिगत मा0 निदेशक मण्डल उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), की सप्तम बैठक दिनांक 22.10.2024 के मद संख्या 07.16 पर लिये गये निर्णय (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम–2021 की धारा 14 (एक) को निम्नानुसार संशोधित कराते हुये इस विसंगति के निवारण का प्रस्ताव है :–

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

अधिनियम में प्राविधानित वर्तमान व्यवस्था	संशोधन हेतु प्रस्ताव
14 (एक) राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हे वित्त पोषित करना।	14 (एक) राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 यथासंशोधित उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था(संशोधन) अधिनियम–2021 की धारा 14 (एक) में उपर्युक्त संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

11.11.24

(रमाकान्त पाण्डेय)
प्रबन्ध निदेशक

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

ANNEXURE R3

BAR CHART OF GHAZIABAD SEWERAGE SCHEME (KARHERA ZONE)

		Up to Date	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24
1	SEWER NETWORK	T (KM)	0	0	0	3	9	15	20	25	30	38	46
		A (KM)	Survey & Design			2.8	7.0	15.2	25.9	39.0	49.6	63.7	82.0
2	MPS	T	0%	0%	0%	0%	1%	3%	5%	8%	11%	15%	19%
		A	Work delayed due to dispute over land of MPS						1%	3%	7%	12%	20%
3	IPS- Bhpaura	T	0%	0%	0%	0%	1%	3%	5%	8%	11%	15%	19%
		A	Work delayed due to dispute over land of IPS						1%	6%	10%	14%	20%
4	IPS- Arthala	T	0%	0%	0%	0%	3%	6%	10%	14%	18%	22%	26%
		A	Survey & Design			3%	8%	14%	20%	22%	25%	28%	33%
5	IPS- Pasonda	T	0%	0%	0%	0%	1%	3%	5%	8%	11%	15%	19%
		A	Work delayed due to dispute over land of IPS								Survey & design		2%
6	STP	T	0%	0%	0%	0%	3%	6%	10%	14%	18%	22%	26%
		A	Survey & Design			1%	3%	8%	11%	14%	18%	23%	30%
7	HOUSE CONN. Chamber	T	0	0	0	0	0	0	500	1000	1500	2500	5000
		A							375	782	1692	3606	5812
8	Overall Physically Progress	T	0%	1%	2%	3%	7%	11%	15%	19%	23%	27%	32%
		A	Survey & Design			2%	4.5%	7.5%	12.0%	17.0%	22.0%	28.0%	38.0%

		Up to Date	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	TOTAL
1	SEWER NETWORK	T (KM)	54	62	70	80	90	100	108	115	120	125	130	135	140	145				Trial Run			145
		A (KM)																					82.0
2	MPS	T	24%	30%	36%	42%	48%	54%	63%	66%	71%	76%	81%	86%	91%	96%	100%			Trial Run			100%
		A																					20%
3	IPS- Bhpaura	T	24%	30%	36%	42%	48%	54%	63%	66%	71%	76%	81%	86%	91%	96%	100%			Trial Run			100%
		A																					20%
4	IPS- Arthala	T	31%	37%	43%	49%	55%	61%	67%	72%	77%	82%	87%	92%	97%	100%				Trial Run			100%
		A																					33%
5	IPS- Pasonda	T	24%	30%	36%	42%	48%	54%	63%	66%	71%	76%	81%	86%	91%	96%	100%			Trial Run			100%
		A																					2%
6	STP	T	31%	37%	43%	49%	55%	61%	67%	72%	77%	82%	87%	92%	97%	100%				Trial Run			100%
		A																					30%
7	HOUSE CONN. Chamber	T	8000	11000	14000	17000	20000	23000	26000	29000	32000	35000	38000	41000	44000	48000	52000	55000	58000	62000	66000	67669	67669
		A																					5812
8	Overall Physically Progress	T	37%	42%	47%	52%	57%	62%	67%	72%	77%	82%	87%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	Trial Run			100%
		A																					38.0%

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad